अध्याय 5

गाँव का प्रशासन

0659CH06

भारत में छः लाख से अधिक गाँव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेज़ों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निबटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सबकी व्यवस्था के लिए गाँव का प्रशासनिक ढाँचा होता है। इस पाठ में हम दो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे।

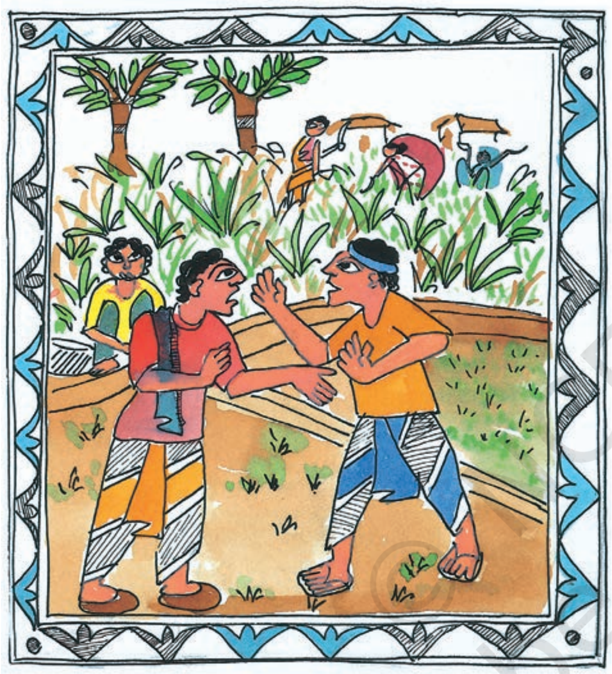

गाँव में झगड़ा

मोहन एक किसान है। उसके परिवार के पास थोड़ी-सी खेतिहर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ ही रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी-सी मेड़ से अलग होते हैं।

एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया था। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और इसके अलावा उसके ताऊ गाँव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुँच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया।

रघु ने अपने एक मज़दूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो-हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है, बीच-बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम-पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गाँव के डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए। जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ़ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस

© NCERT not to be republished

थाने पहुँच चुके होंगे। काफ़ी विचार-विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आँखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा।

पुलिस थाने का क्षेत्र

थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, "क्यों न हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें?" मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है। हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गाँव इसी के कार्यक्षेत्र में आता है।

हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की ज़िम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जाँच-पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे।

* अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएँगी?
* मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था?
* मोहन को रघु से झगड़ा करने में डर क्यों लग रहा था?
* कुछ लोगों ने कहा कि मोहन को पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए जबकि कुछ ने ऐसा करने से मना किया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए?

पुलिस थाने में होने वाला काम

जब सब लोग पुलिस थाने पहुँचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप में देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी-छोटी शिकायतों की जाँच-पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही थी!

मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उनकी आँखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत ही गंभीर चोटें आतीं। उन्होंने मामला दर्ज करने पर ज़ोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जाँच-पड़ताल के लिए उनके यहाँ पहुँचेगा।

पुलिस थाने में जो भी हुआ उसे एक नाटक के रूप में दिखाइए। फिर यह बताइए कि मोहन, थानेदार या पड़ोसियों की भूमिका निभाते हुए आपको कैसा लगा? क्या थानेदार इस स्थिति को किसी अन्य तरीके से संभाल सकता था?

राजस्व विभाग का काम

आपने पढ़ा कि मोहन और रघु में खेत की मेड़ को लेकर ज़बरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते। क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गाँव में किसके पास कौन-सी ज़मीन है? चलिए, पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है।

ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग-अलग राज्यों में इसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है – कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखाजोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँवों के लिए ज़िम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गाँव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है।

आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग-अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं। इसे *जरीब* कहते हैं। ऊपर दी गई कहानी में पटवारी, मोहन और रघु के खेतों को नापकर यह देख सकता था कि वह गाँव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता तो उसको पता चल जाता कि मेड़ खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है।

पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। इसीलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय-समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं

अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पता कीजिए—

आपके क्षेत्र का पटवारी कितने गाँवों के लिए ज़मीन के अभिलेख रखता है? गाँव के लोग पटवारी से कैसे संपर्क करते हैं?

खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएँ भरी हैं। इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन-सा टुकड़ा किसके नाम है। इस रिकॉर्ड और नक्शे को देखिए तथा मोहन और रघु की ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए।

खसरा 5

नं.	क्षेत्र हैक्टेयर में	ज़मीन मालिक का नाम, पिता/पति का नाम और पता	यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम ओर बटाई का हिस्सा	इस साल जोती गई ज़मीन			परती ज़मीन	सुविधाएँ
				फ़सल	क्षेत्र	अन्य फ़सलें		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0.75	मोहन, वल्द राजा राम गाँव अमरापुरा ज़मीन का मालिक	नहीं	सोयाबीन	0.75 हेक्टेयर			
2	3.00	रघु राम वल्द रतन लाल गाँव अमरापुरा ज़मीन का मालिक	नहीं	गेहूँ	2.75 हेक्टेयर	1.75	0.25	कुआँ-1 चालू
3	6.00	मध्य प्रदेश सरकारी घास का मैदान	नहीं	–				कुआँ-1 चालू चारागाह

NCERT not to be republished

(क) मोहन के खेत के दक्षिण में जो ज़मीन है वह किसकी है?

(ख) रघु और मोहन की ज़मीन के बीच की सीमा पर निशान लगाइए।

(ग) खेत संख्या 3 को कौन इस्तेमाल कर सकता है?

(घ) खेत संख्या 2 और 3 से संबंधित क्या-क्या जानकारी हमें मिल सकती हैं?

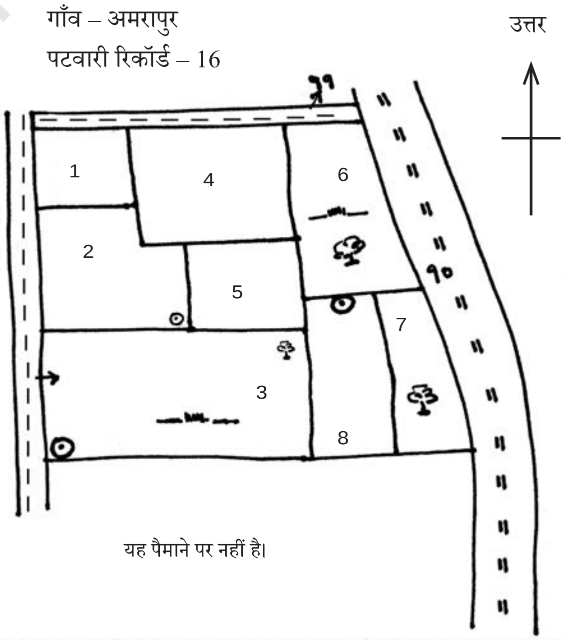

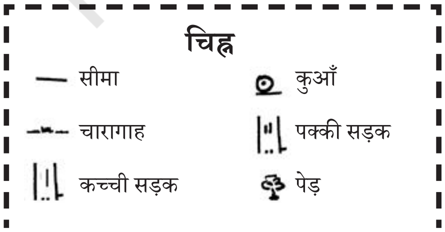

किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को इसकी नकल पाने का अधिकार है। हालाँकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में डालकर पंचायत के दफ़्तर में रख दिए गए हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सकें और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें।

आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ती होगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए और उन मामलों को पहचानिए जिनमें ज़मीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वे किसलिए जरूरी हैं?

* एक किसान दूसरे किसान से ज़मीन ख़रीदना चाहता है।
* एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है।
* एक किसान को अपनी ज़मीन में कुआँ खोदने के लिए बैंक से कर्ज चाहिए।
* एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है।
* एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे एवं बेटियों में बाँटना चाहता है।

या कोई कहीं कुआँ खोद लेता है। इन सबका हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं।

भारत में सभी राज्य ज़िलों में बँटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन ज़िलों को और भी छोटे खंडों में बाँट दिया जाता है। ज़िले के उप-खंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे— तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर ज़िला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएँ और राजस्व (विभिन्न तरह के कर) इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण-पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ़्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं।

एक नया कानून

(हिंदू अधिनियम धारा, 2005)

जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बाँट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा।

इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गाँव

© NCERT not to be republished

एक बिटिया की चाह

विरासत में मिला यह घर
पापा को अपने पिता से
यही घर मिलेगा
मेरे भैया को मेरे पिता से

पर मैं और मेरी माँ,
हमारा क्या?
बता दिया गया है मुझे,
पिता के घर में हिस्से की बात
औरतें नहीं किया करतीं

लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना
बिलकुल मेरा अपना
नहीं चाहिए
दहेज में रेशम और सोना

स्रोत— रिफ़्लेक्शन्स ऑन माई फैमिली, अंजलि मांटेरियो, टिस, मुंबई

में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बँटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ-साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए।

सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम सँभालती है। सुधा भी इसी निश्चिंतता में जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन से काम चला सकती है।

अन्य सार्वजनिक सेवाएँ — एक सर्वेक्षण

इस पाठ में हमने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पढ़ा, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा, ज़मीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में। पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार। हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएँ आती हैं। इन सेवाओं का उपयोग कानूनों के अनुसार होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा।

अपने गाँव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए — दुग्ध उत्पादक समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज और खाद के लिए कृषक समिति, डाक बंगला, आँगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल इत्यादि।

तीन सार्वजनिक सेवाओं पर जानकारी इकट्ठी कीजिए और अपनी अध्यापिका के साथ चर्चा कीजिए कि इनकी कार्य प्रणाली में कैसे सुधार किया जा सकता है। आपके लिए एक उदाहरण आगे दिया जा रहा है।

© NCERT not to be republished

सार्वजनिक सभा	आपने उनके काम के बारे में क्या देखा?	नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र	इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनको क्या करने की ज़रूरत है	जो यह सब प्रदान करते हैं उनकी समस्याएँ	लोगों की समस्याएँ	क्या सुधार किए जा सकते हैं?
राशन की दुकान	यह दुकान खुली हुई थी। तीन लोग आए उनके पास पीले रंग के कार्ड थे। सबने चावल और चीनी खरीदी, मिट्टी का तेल मिला नहीं।	यह दो गाँवों के लिए है।	उनको राशन कार्ड की ज़रूरत है, यह तहसील के दफ़्तर में बनाया जाता है।	मिट्टी के तेल की आपूर्ति पूरी नहीं है।	चावल बड़ा खराब आता है। मिट्टी का तेल तो कभी मिलता ही नहीं।	अच्छा चावल आए। मिट्टी का तेल मिले। राशन की दुकान रोज़ खुले।
स्वास्थ्य केंद्र						
दुग्ध उत्पादक समिति						

अभ्यास

1. पुलिस का क्या काम होता है?

2. पटवारी के कोई दो काम बताइए।

3. तहसीलदार का क्या काम होता है?

4. 'एक बिटिया की चाह' कविता में किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है? क्या आपको यह मुद्दा महत्त्वपूर्ण लगता है? क्यों?

5. पिछले पाठ में आपने पंचायत के बारे में पढ़ा। पंचायत और पटवारी का काम एक-दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है?

6. किसी पुलिस थाने जाइए और पता कीजिए कि यातायात नियंत्रण, अपराध रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस क्या करती है, खासकर त्योहार या सार्वजनिक समारोहों के दौरान।

7. एक ज़िले में सभी पुलिस थानों का मुखिया कौन होता है? पता करें।

8. चर्चा कीजिए कि नए कानून के तहत महिलाओं को किस तरह फ़ायदा होगा।

9. आपके पड़ोस में क्या कोई ऐसी औरत है जिसके नाम ज़मीन-जायदाद हो? यदि हाँ, तो उसे यह संपत्ति कैसे प्राप्त हुई?

© NCERT not to be republished